भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 996

28 जुलाई, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: मंत्रालय का अधिदेश

996. श्री बिनोय विस्वम:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सहकारिता मंत्रालय का अधिदेश क्या है;
(ख) क्या इस मंत्रालय का अधिदेश कृषि मंत्रालय के तहत सहकारिता विभाग से भिन्न है;
(ग) क्या सरकार ने राज्य कानूनों से विनियमित सहकारी सोसायटी की विषय-वस्तु से नये मंत्रालय के सृजन के संबंध में राज्य सरकारों से परामर्श किया है;
(घ) मंत्रालय के प्रशासनिक, विधिक और नीतिगत ढांचे को कब तक सार्वजनिक किया जाएगा; और
(इ) क्या सरकार ने मंत्रालय के लिए हस्तक्षेप के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में सहकारी सोसायटी के किसी प्रतिनिधि अथवा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से परामर्श किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी किए गए समस्त विचार विमर्श का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री बी एल वर्मा)

(क): भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1961 के अनुसार सहकारिता मंत्रालय को आवंटित कार्य अनुबंध-I पर दिया गया है।
(ख): तत्कालीन कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के कार्य में "सहकारिता" संबंधित प्रविष्टियों को अब सहकारिता मंत्रालय को सौंपा गया है, अतः, सहकारिता मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (पहले कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग) के कार्यों के बीच कोई ओवरलैप नहीं होगा ।

(ग): मंत्रालयों/विभागों को सरकार की कार्यात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और इसकी प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के लिए पुनर्गठित/विलय/सृजित किया जाता है। नए सहकारिता मंत्रालय का सृजन, अन्य बातों के साथ-साथ, तत्कालीन कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के कार्य में सहकारिता एवं सहकारी समितियों से संबंधित मौजूदा प्रविष्टियों को नई नवाचारी जेनेरिक प्रविष्टियों के साथ हस्तांतरित करके किया गया है।

(घ): मंत्रालय का प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा उपरोक्त (क) में दिए गए अधिदेश के अनुसार होगा।

(ड.) मंत्रालय का अधिदेश सरकार द्वारा अधिसूचित कार्य नियमों के अनुसार होगा। क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार विशेषज्ञों के परामर्श से कार्यान्वयन ढांचा और हस्तक्षेप के क्षेत्र सामने आएंगे। हालांकि, सहकारी समितियों के लिए एक अलग प्रशासनिक ढांचा स्थापित करने के लिए 01.02.2021 को बजट घोषणा के बाद, सहकारी क्षेत्र के प्रमुख नेताओं और विशेषज्ञों के साथ एक वर्चुअल वेबिनार आयोजित किया गया था।

<u>अनुबंध-I</u>

1. सभी क्षेत्रों में सहयोग और सहकारिता क्रियाकलापों के समन्वय के क्षेत्र में सामान्य नीति
   नोट:- संबंधित मंत्रालय क्षेत्र में सहकारिता के लिए उत्तरदायी हैं।
2. “सहयोग से समृद्धि” तक के विजन की प्राप्ति
3. देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करना और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को मजबूत करना।
4. देश के विकास के लिए अपने सदस्यों के बीच जिम्मेदारी की भावना सहित सहकारी-आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देना।
5. सहकारी समितियों को उनकी क्षमता का एहसास कराने में मदद करने के लिए उपयुक्त नीति, कानूनी और संस्थागत ढांचे (फ्रेमवर्क) का निर्माण।
6. राष्ट्रीय सहकारी संगठन से संबंधित मामले
7. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
8. 'बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 39)' के प्रशासन सहित राज्य तक सीमित न होने वाली सहकारी समितियों का निगमन, विनियमन और समापन:
   बशर्ते कि इसके नियंत्रण में कार्यरत सहकारी इकाइयों के लिए बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 39) के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के उद्देश्य से प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग 'केंद्र सरकार' होगा।
9. सहकारी विभागों और सहकारी संस्थानों के कार्मिकों का प्रशिक्षण (सदस्यों, पदाधिकारियों (ऑफिस बियरर्स) और गैर-अधिकारियों की शिक्षा सहित)।

*****